

8/12/2006
बूजिंग 106

अधिसूचना

भारत संविधान के अनुच्छेद-309 के परंतुक के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, केन्द्रीय सरकारी कर्मियों को यथा लागू "डिपोजिट लिंकड इश्योरेन्स स्कीम" का प्रावधान राज्य सरकार के कर्मियों के लिए करने हेतु बिहार सामान्य भविष्य निधि नियमावली, 1948 का संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं-

बिहार सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2006

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और आरम्भ- (1) यह नियमावली बिहार सामान्य भविष्य निधि (संशोधन) नियमावली, 2006 कही जा सकेगी।
(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा।
(3) यह तुरत प्रवृत्त होगी।
2. उक्त नियमावली, 1948 के नियम-17 के उप नियम (ख) के बाद निम्नलिखित उप नियम (ग) जोड़ा जाएगा-

“(ग) अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर अभिदाता के नाम जमा रकम प्राप्त करने का हकदार व्यक्ति को लेखा पदाधिकारी द्वारा ऐसे अभिदाता की मृत्यु के ठीक पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान खाते में औसत अतिशेष के बराबर अतिरिक्त रकम निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिया जायगा-

- (1) ऐसे अभिदाता के नाम जमा अतिशेष उसकी मृत्यु के माह के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित सीमा से कम न रहा हो-
 - (i) अधिकतम-12,000/-रु० या उससे अधिक वेतनमान में पद धारण करने वाले अभिदाता के मामले में 25,000/-रु०।
 - (ii) अधिकतम 9,000/-रु० या उससे अधिक परन्तु 12,000/-रु० से कम वेतनमान में पद धारण करने वाले अभिदाता के मामले में 15,000/-रुपये।
 - (iii) अधिकतम-3,500/-रु० या उससे अधिक परन्तु 9,000/-रु० से कम वेतनमान में पद धारण करने वाले अभिदाता के मामले में 10,000/-रुपये।
 - (iv) अधिकतम-3,500/-रुपये से कम वेतनमान में पद धारण करने वाले अभिदाता के मामले में 6,000/-रु०।

- (2) इस नियम के अधीन भुगतेय अतिरिक्त रकम 60,000/-रु० से अधिक नहीं होगी ।
- (3) अभिदाता ने, अपनी मृत्यु के समय, कम से कम पाँच वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो ।
- (4) औसत अतिशेष की गणना उस माह के जिसमें मृत्यु हुई हो, पूर्ववर्ती 36 माह में से प्रत्येक माह के अंत में अभिदाता के नाम जमा अतिशेष के आधार पर की जायेगी । इस प्रयोजनार्थ तथा ऊपर विहित न्यूनतम अतिशेष की जाँच के लिए भी-
- (क) मार्च के अंत के अतिशेष में नियम-2 के निबंधनों के अनुसार जमा वार्षिक ब्याज भी सम्मिलित होगा ।
- (ख) यदि पूर्वोक्त 36 माह का अंतिम माह मार्च नहीं हो, तो उक्त अंतिम माह के अंत के अतिशेष में से उस वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से, जिसमें मृत्यु हुई हो, उक्त अंतिम माह के अंत तक की अवधि से संबंधित ब्याज भी सम्मिलित होगा ।

नोट-1 इस स्कीम के अधीन भुगतान पूर्ण रूपों में होगा । यदि किसी देय रकम में रूपया का कोई भाग सम्मिलित हो, तो उसे निकटतम रूपया में पूर्णांकित कर दिया जाना चाहिए (पचास पैसे की गणना एक और रूपया के रूप में की जायेगी) ।

नोट-2 इस स्कीम के अधीन भुगतेय धन राशि बीमा धन के स्वरूप की है इसलिए भविष्य निधि अधिनियम, 1925 (1925 का अधिनियम-19) की धारा-3 द्वारा दिया गया कानूनी संरक्षण इस स्कीम के अधीन भुगतेय धन राशि पर लागू नहीं होगा ।

नोट-3 यह स्कीम निधि के उन अभिदाताओं पर भी लागू होती है, जिन्हें किसी सरकारी विभाग की स्वशासी संगठन में परिवर्तित कर दिये जाने के परिणाम स्वरूप ऐसे निकाय में स्थानान्तरित कर दिया गया हो और जिन्होंने ऐसा स्थानान्तरण होने पर उन्हें दिये गये विकल्प के निबन्धनों के अनुसार इन नियमों के अनुसार इस निधि में अंशदान करने का विकल्प दिया गया हो ।

नोट-4 (क) ऐसे सरकारी सेवक के मामले में जिसे नियम-33 के अधीन निधि के फायदों में शामिल किया गया हो, किन्तु जिसकी मृत्यु, यथास्थिति, निधि में उसके शामिल होने की तारीख से तीन वर्ष की सेवा या पाँच वर्ष की सेवा पूरी होने के पूर्व हो जाती है, तो पूर्ववर्ती नियोजक के अधीन उसकी सेवा की उस अवधि की जिसकी बावत उसे अभिदाताओं की रकम और नियोजक का अंशदान, यदि कोई हो, ब्याज सहित वसूल कर लिया गया हो, खण्ड-(2) और खण्ड-(3) के प्रयोजनों के लिए गणना की जायेगी ।

(ख) औपबंधिक आधार पर नियुक्त किये गये व्यक्तियों के मामले में और पुनर्नियोजित पेंशनभोगी व्यक्तियों के मामले में, यथास्थिति, ऐसी नियुक्ति या ऐसे पुनर्नियोजन की तारीख से की गई सेवा की ही गणना इस नियम के प्रयोजनों के लिए की जायेगी ।

(ग) यह स्कीम संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्तियों पर लागू नहीं होगी

(5) इस स्कीम के बावत व्यय के बजट प्राक्कलन निधि लेखा के अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन (भविष्य निधि निदेशालय) वित्त विभाग, बिहार द्वारा व्यय के रख को ध्यान में रखते हुए उसी रीति से तैयार किये जायेंगे जिस रीति से अन्य सेवा निवृत्ति लाभों के लिए प्राक्कलन तैयार किये जाते हैं।

(6) किसी पंचांग दिवस की 12 बजे अर्द्धरात्रि के पूर्व अंतिम कार्य दिवस के कार्य घंटे के उपरान्त भविष्य निधि के किसी अंशदाता की मृत्यु के मामले में, सेवाकाल मृत्यु का मामला बनता है, जिससे अंशदाता द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्ति, जमा अनुबंध बीमा योजना (डिपोजिट लिंकड इन्श्योरेंस स्कीम) के लाभ का हकदार है, बशर्ते वह इस योजना की विहित शर्तों को पूरा करता हो।

(7) भुगतान करने में किसी प्रकार का विलम्ब न हो, इसलिए संयुक्त आयुक्त लेखा प्रशासन (भविष्य निधि निदेशालय) वित्त विभाग, बिहार, पटना भविष्य निधि के रकम प्राप्त करने के हकदार व्यक्ति को उक्त योजना में उपबंधित अतिरिक्त लाभ के भुगतान बिना किसी आगामी मंजूरी के शेष भविष्य निधि के अंतिम भुगतान करने के समक प्राधिकृत करेंगे।

(8) औसत 36 माह पूरा होने पर, प्रत्येक प्रक्रम पर नहीं, इस योजना के अधीन अधिकतम सीमा 60,000/- (साठ हजार) रूपया होगा।

(9) जमा अनुबंध बीमा योजना (डिपोजिट लिंकड इन्श्योरेंस स्कीम) से संबंधित इस नियम के प्रयोजनार्थ, सरकारी सेवक, अपनी सेवा निवृत्ति तक, लगातार अंशदाता के रूप में माना जायेगा, हालांकि अंशदान उसकी सेवा में विगत 12 माह तक विच्छिन्न क्यों न हो, ताकि उस अवधि के दौरान अंशदाता की दुर्भाग्यवश मृत्यु की दशा में भी, अंशदाता के खाते में जमा रकम पाने के हकदार व्यक्ति को नियम-17(ग) के अनुसार अतिरिक्त रकम का भुगतान किया जा सके।

(10) किसी कर्मचारी के फरार होने की दशा में, और वह कहाँ अवस्थित है उसकी जानकारी के अभाव में, अंशदाता के खाते में जमा रकम पाने का हकदार व्यक्ति सिर्फ 7 (सात) वर्ष बीत जाने के बाद जमा-अनुबंध-बीमा-योजना (डिपोजिट लिंकड इन्श्योरेंस स्कीम) के अधीन भुगतान पाने का हकदार होगा। तथ्यों एवं परिस्थितियों के अधीन मृत्यु के पर्याप्त सबूत होने पर भुगतान में विलम्ब नहीं किया जायगा।

(11) आत्म-हत्या द्वारा मृत्यु होने की दशा में भी जमा-अनुबंध-बीमा-योजना (डिपोजिट लिंकड इन्श्योरेंस स्कीम) का लाभ देय होगा और मृतक के उत्तराधिकारी के इस योजना का लाभ प्रदान किया जायेगा।

(12) इस योजना के लिए पृथक से नामांकन की जरूरत नहीं है ।

(13) जहाँ तक उच्च न्यायालय/ बिहार विधान सभा/ बिहार विधान परिषद् के कर्मचारियों का सम्बन्ध है, माननीय मुख्य न्यायाधीश, पटना उच्च न्यायालय, पटना/ अध्यक्ष, बिहार विधान सभा/ सभापति, बिहार विधान परिषद् का अनुमोदन प्राप्त कर संबंधित सचिवालय/ कार्यालय द्वारा पृथक आदेश निर्गत किया जायेगा ।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(के० एम० शर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांक- वि.2-50/2000-(जी.पी.एफ.6)- ६१६२ वि०, पटना, दिनांक ३०/०१/०६

प्रतिलिपि : महालेखाकार, बिहार, पटना/राँची को सूचनार्थ प्रेषित ।

(के० एम० शर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांक- वि.2-50/2000-(जी.पी.एफ.6)- ६१६२ वि०, पटना, दिनांक ३०/०१/०६

प्रतिलिपि : सरकार के सभी विभाग/ विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(के० एम० शर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांक- वि.2-50/2000-(जी.पी.एफ.6)- ६१६२ वि०, पटना, दिनांक ३०/०१/०६

प्रतिलिपि : अध्यक्ष, लोक उद्यम ब्यूरो/ मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त(अंकेक्षण)विभाग/ सचिव, राष्ट्रीय बचत, वित्त विभाग/ संयुक्त आयुक्त, लेखा प्रशासन (भविष्य निधि निदेशालय), पंत भवन, पटना/ सभी प्राचार्य, प्रमंडलीय लेखा प्रशिक्षण विद्यालय, वित्त विभाग/ वित्त विभाग के सभी पदाधिकारियों/ कर्मचारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

(के० एम० शर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांक- वि.2-50/2000-(जी.पी.एफ.6)-

8/11/20 वि०,

पटना, दिनांक 22/11/20

प्रतिलिपि : सभी जिला भविष्य निधि पदाधिकारी/ सभी कोषागार पदाधिकारी/ उप-कोषागार पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

8/11/20

(के० एम० शर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांक- वि.2-50/2000-(जी.पी.एफ.6)-

8/11/20 वि०,

पटना, दिनांक 22/11/20

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त/ सभी जिला पदाधिकारी/ सभी उपायुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

8/11/20

(के० एम० शर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव, वित्त विभाग ।

ज्ञापांक- वि.2-50/2000-(जी.पी.एफ.6)-

8/11/20 वि०,

पटना, दिनांक 22/11/20

प्रतिलिपि : अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना/ अधीक्षक, प्रेस एवं फार्मर्स गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित । इसे बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशित कराने तथा इसकी दो हजार प्रतियाँ वित्त विभाग, जी.पी.एफ. शाखा-6 को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करेंगे ।

8/11/20

(के० एम० शर्मा)

सरकार के संयुक्त सचिव, वित्त विभाग ।